नवीनीकृत उपकरणों के लिए कड़े सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने, रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की माँग

भारत में नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के अवैध आयात पर जनहित याचिका दायर: चिंताएँ और नीति उल्लंघन

एम्ओ ईएफसीसी की मंजूरी के बिना भारत में सर्जिकल रोबोट सहित नवीनीकृत उपकरणों का आयात गंभीर विनियामक उल्लंघन और रोगी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (का.सं.)। नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती प्रवृत्ति रोगी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करती है और इन उपकरणों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत फाउंडेशन का पैशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव (पीएसएआईआईएफ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका **(PIL)** दायर की, जिसमें नवीनीकरण किए गए चिकित्सा उपकरणों के आयात में कई उल्लंघनों और अनुपालन की कमी का हवाला दिया गया। अदालत के आदेशों के अनुसार, पीएसएआईआईएफ को हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय (डीजीएचएस) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम्ओ ईएफसीसी) से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं।

भारत में चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत नवीनीकृत उपकरणों सहित चिकित्सा उपकरणों पर कड़े नियामक निगरानी के तहत नियंत्रण किया जाता है। ये नियम सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि चिकित्सा उपकरणों को बाजार में आने से पहले कठोर सुरक्षा और प्रभावशीलता मानकों को पूरा करना चाहिए। हालांकि, सीटी स्कैनर, एमआरआई मशीनें, अल्ट्रासाउंड उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम जैसे नवीनीकरण किए गए उपकरणों का आयात बिना उचित प्रमाण पत्र के बढ़ता हुआ चलन देखा गया है। इससे एक ऐसा ढांचा बनता है जो भारत की आत्मनिर्भरता को खतरे में डालता है और मरीजों की सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम पैदा करता है। ए आई एम ई डी, एफआई सीसीआई और कई घरेलू कंपनियों जैसे संघों ने भारत में नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के आयात का विरोध किया और सरकार से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारत में नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों का अवैध आयात एक गंभीर मुद्दा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, विनियामक अखंडता और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करता है। यह प्रथा केवल स्थापित चिकित्सा उपकरण ढांचे को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन मरीजों के लिए भी गंभीर जोखिम पेश करती है, जो अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इन उत्पादों पर निर्भर हैं। इसके जवाब में, पीएसएआईआईएफ ने इन मुद्दों को उजागर करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, डीजीएचएस, एमओईएफसीसी, डीजीएफटी और इंट्यूटिव सर्जिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत कई प्रतिवादियों को शामिल किया गया था।

इस मामले पर बोलते हुए, पीएसएआईआईएफ के संस्थापक प्रोफेसर बेजोन कुमार मिश्रा ने कहा, याचिका दायर कर प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे सभी सेकेंड-हैंड और री-फर्बिश्ड हाई-एंड एंड हाई-वैल्यू (एचईएचवी) प्रयुक्त चिकित्सा उपकरणों की पहचान करें और उन्हें प्रस्तुत करें, जो कि क्रिटिकल केयर मेडिकल उपकरणों के अलावा 2019 से भारत में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की अनुमति के बिना आयात किए गए हैं और इंट्यूटिव सर्जिकल सहित कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे सभी रीफर्बिश्ड एचईएचवी मेडिकल उपकरणों को तुरंत वापस बुलाएं जो नियमों और विनियमों के अनुसार पूर्व अनुमोदन के बिना स्थापित किए गए हैं और रीफर्बिश्ड एचईएचवी मेडिकल उपकरणों के आयात को रोकें, जिसमें वे सिस्टम भी शामिल हैं जो सीमा शुल्क से मंजूरी प्राप्त हैं और ग्राहक के स्थानों पर स्थापित नहीं हैं, जब तक कि प्रतिवादियों की सरकारी अंतर-मंत्रालयी समिति कार्यान्वयन पर निर्णय नहीं ले लेती।

याचिका में पर्याप्त सबूत पेश किए गए, जिसमें एक कंपनी का हवाला दिया गया- इंट्यूटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंट्यूटिव सर्जिकल इंक की एक सहायक कंपनी- जिसने कथित तौर पर 2019 से 250 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नवीनीकृत उपकरणों का आयात किया, संभवत: आवश्यक एम्ओ ईएफसीसी अनुमोदन के बिना। याचिका के मुख्य तर्क इस बात पर जोर देते हैं कि चिकित्सा उपकरणों, विशेष रूप से नवीनीकृत एच ई एच वी उपकरणों के आयात की 2023 से पहले अनुमति नहीं थी। जून 2023 में डीजीएचएस अधिसूचना के बाद भी, जिसमें सख्त शर्तों के तहत चुनिंदा उपकरणों के आयात की अनुमति दी गई थी, एम्ओ ईएफसीसी की मंजूरी अनिवार्य थी।

अमनदीप सिद्धू और आकाश आहूजा ने भावनात्मक संघर्षों के बीच सोनी सब के बादल पे पांव है की शूटिंग के दौरान कहा, यह हमारे प्रशंसकों और हमारी कला के प्रति हमारा प्यार है जो हमें आगे बढ़ाता है

मुंबई, 17 अक्टूबर (वेब वार्ता)। एक अभिनेता का जीवन भले ही आकर्षक लगता है, लेकिन अक्सर उसमें अपनी भावनाओं को दरकिनार करना होता है। खुद को अपने हुनर में पूरी तरह से डुबो देना होता है। अपने किरदारों में पूरी तरह से उतरना शामिल होता है।

यह हालात सोनी सब के बादल पे पांव है के कलाकार अमनदीप सिद्धू और आकाश आहूजा के लिए खास तौर पर सच साबित हुआ है। दर्शकों को पता नहीं है कि दोनों कलाकारों ने हाल ही में कई चुनौतियों का सामना किया है, फिर भी उन्होंने स्क्रीन पर बेहतरीन अभिनय किया है। अभिनय के प्रति उनके जुनून और दर्शकों के अटूट प्यार ने उन्हें चुनौतियों के बावजूद अपने अभिनय को जारी रखने में मदद की है।

दृढ़ निश्चयी बानी का किरदार निभाने वाली अमनदीप सिद्धू ने हाल ही में अपने प्यारे पालतू जानवर को खोने के भावनात्मक सदमे के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखा। इस कठिन समय में उनके हुनर ने उनकी किस तरह मदद की, इस पर उन्होंने कहा, अपने पालतू को खोना मेरे लिए बेहद मुश्किल और भावनात्मक समय था।

कैमरे का सामना करना एक दवा की तरह काम करता है। यह एक तरह का उपचार ही है। दर्शक मेरे किरदार को पसंद करते हैं। उनके प्यार ने मुझे अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित किया, भले ही व्यक्तिगत स्तर पर मेरा दिल दुखी था। साथ ही सेट पर रहना एक थेरेपी का काम करता है, जिससे मुझे खुद को विचलित रखने में मदद मिलती है। मेरे प्यारे सह-कलाकारों और क्रू से घिरे रहना, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि मैं सेट पर सहज महसूस करूँ और मेरा हालचाल पूछते रहे, निश्चित रूप से मुझे इस दौर से बाहर निकलने में मदद मिली। मैं कलाकारों और क्रू और निश्चित रूप से दर्शकों से मिले समर्थन के लिए आभारी हूँ।

इसी तरह शो में रजत खन्ना का किरदार निभाने वाले आकाश आहूजा ने वायरल बुखार के बावजूद काम किया। शारीरिक थकावट से गुजरने के बाद भी अपने काम के प्रति उनके प्यार ने उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित किया। वह कहते हैं, ऐसे दिन होते

हैं जब शरीर कमज़ोर महसूस करता है। अभिनेता के रूप में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम हर दिन अपना 100% दे रहे हैं। दर्शकों का प्यार हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देता है।

भले ही मैं अस्वस्थ था, लेकिन सेट पर रहने से मुझे बेहतर महसूस करने में मदद मिली। प्रोडक्शन टीम अविश्वसनीय रूप से सहायक थी - उन्होंने मुझे केवल तभी बुलाया जब मेरा शॉट तैयार था। मुझे जितना संभव हो सके आराम करने दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए शेड्यूल को भी एडजस्ट किया कि मैं अच्छी तरह से आराम करूँ।

अभिनय एक अभिनेता का जुनून और व्यक्तिगत शक्ति का स्रोत दोनों है, जो उन्हें जीवन के उतार-चढ़ाव को शालीनता से पार करने की अनुमति देता है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को टेबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित

जीवन मे उच्च लक्ष्य रखकर निरन्तर मेहनत करके सफलता प्राप्त करें- विधायक शत्रुघ्न गौतम

केकडी ब्लॉक के कुल 528 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को टेबलेट वितरण कर सम्मानित किया

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकड़ी, 17 अक्टूबर (दीपांकुर चौहान)। दिनांक 17 अक्टूबर 24 को विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य एवम जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक केकड़ी गोविन्द नारायण शर्मा की अध्यक्षता में पी एम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को टेबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि के रूप में एस डी एम सी के सदस्य नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र चौधरी,पार्षद धनराज कच्छावा, पार्षद मनोज कुमावत उपस्थित रहे । मुख्य अतिथि विधायक गौतम ने शिक्षा सत्र 2021 -22 व 22 -23 में कक्षा 8 10 12 प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य व जिला मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को केकडी ब्लॉक के 260, सरवाड़ ब्लॉक के 130 व सावर ब्लॉक के 138 कुल 528 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को टेबलेट वितरण कर सम्मानित किया। कार्यकम के प्रारंभ में जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने स्वागत उदबोधन दिया व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । छात्राओं ने सरस्वती वंदना व मेरे घर राम आये है भजन से कार्यक्रम की शुरुआत की । विधायक गौतम ने छात्र छात्राओं को अपने उदबोधन में बताया कि जीवन मे उच्च लक्ष्य रखकर निरन्तर मेहनत करके सफलता प्राप्त करें । अपने माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करें । प्रतिदिन अपने इष्ट देव के नित्य दर्शन पूजा कर दैनिक कार्य की शुरुआत करें व संस्कारवान बने ।डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप टेबलेट का सदुपयोग करें । उसका दुरुपयोग नहीं करें । विधायक महोदय ने सावर सरवाड़ व केकडी ब्लॉक के कक्षा 8 से 12 में 60त्न अंक प्राप्त करने वाले समस्त बालक बालिकाओं को अभिभावकों के साथ अपनी ओर से सम्मानित करने हेतु घोषणा की इस अवसर पर सी बी ई ओ केकड़ी विष्णु शर्मा,सी बी ई ओ सावर कविता मौर्य, ए सी बी ई ओ सरवाड़ सत्येन्द्र आचार्य, यू सी ई ई ओ कालू राम सामरिया, प्रधानाचार्य अशोक जेतवाल,प्रधानाचार्य हेमन पाठक,पार्षद कैलाश चौधरी,नवल किशोर जांगिड़ मौजूद रहे।

श्री मैढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा श्री महाराजा अजमीढ़ जयंती का दो दिवसीय उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया

केकड़ी, 17 अक्टूबर (दीपांकुर चौहान)। श्री मैढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा श्री महाराजा अजमीढ़ जयंती का दो दिवसीय उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में केकड़ी शहर सहित उपखंड केकड़ी के समस्त स्वर्णकार बंधु उपस्थित रहे। स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गोपालचंद साड़ीरवाल ने बताया कि कार्यक्रम में श्री मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के सभी परिवार ने सपरिवार सम्मिलित होकर कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रात: काल यज्ञ (अग्निहोत्र) में वैदिक मंत्रों से आहुतियां दी गई उसके पश्चात विभिन्न बोलियों लगाई गई जिसमें दीपक की बोली ओम प्रकाश सारडीवाल, बग्गी की बोली कैलाश साड़ीरवाल मेवदाकला , प्रथम घोड़ी की बोली मनीष डसानिया , दितीय घोड़ी की बुद्धि प्रकाश सोनी के रही उसके पश्चात महाराजा अजमीढ़, जी की भव्य शोभायात्रा शहर के विभिन्न मार्ग सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, खिड़की गेट, होते हुए संस्था भवन में संपन्न हुई शोभायात्रा में अजमीढ़ की भव्य झांकी, बग्गी, घोड़ा, घोड़ियां आकर्षण का केंद्र रहे शोभायात्रा में समाज के सभी पुरुष, महिला एवं बच्चे, बच्चियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। शोभायात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा भजनों एवं नृत्य की प्रस्तुति की गई खिड़की गेट पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया शोभा यात्रा के पश्चात समाज का सपरिवार सामूहिक भोजन किया गया तत्पश्चात समाज की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया जिसमें स्वर्णकार समाज के वृद्ध जन जिनकी आयु 75 वर्ष अधिक है 15 पुरुष एवं 16 महिलाओं का साल एवं साफा पहनकर सम्मान किया गया समाज के वही प्रतिभावान जिन्होंने शैक्षणिक को प्रशैक्षणिक क्षेत्र में 75% प्राप्त किए हैं उन 23 प्रतिभाओं का सम्मान किया साथ ही तीन नव नियुक्त कार्मिकों का सम्मान किया गया 14 राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का सम्मान किया गया।

मां कैला देवी के जागरण में जमकर झूमे पदयात्री

खीर की प्रसादी के साथ भंडारे में हजारों ने पाई पंगत प्रसादी

गंगापुर सिटी। शरद पूर्णिमा पर्व पर मां कैला देवी सेवा संस्थान के तत्वाधान में कैला मैया की पदयात्रा में विश्राम स्थल चैनपुर बालाजी पर आयोजित भजन संध्या में पद यात्रियों ने जमकर ठुमके लगाए, मां अंबिका म्यूजिकल ग्रुप के कलाकार मनोज शर्मा शेखर सुमन महेश फनकार लोकेश जांगिड़ आदि ने माता रानी की एक से एक भेंट सुना कर पद यात्रियों को झूमने पर मजबूर कर दिया इससे पूर्व समिति के पदाधिकारी द्वारा बालाजी महाराज के दर्शन कर ढोंक लगाई। संस्थान के अध्यक्ष दिनेश चंद तंबोली पूरा महामंत्री रमेश चंद तिवारी दिनेश कोर्ट लक्ष्मी नारायण प्रॉपर्टी वेद प्रकाश मंगल नवल किशोर बैंक वाले महेश पडासोट कैलाश सर मथुरा राकेश मंगल राजेंद्र वैष्णव राहुल गर्ग सतीश चंद्र अनिल गुप्ता मनोहर गुप्ता राजकुमार खंडूजा पवन भंडारी राजेश श्रीमती हंसा जिंदल आदि पदाधिकारी द्वारा भगवती जागरण में कैला मैया के चित्र पर माल्यार्पण व धूप दीप लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके

पर भामाशाहों और अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। भगवती जागरण रात्रि 8ः00 बजे से शुरू होकर रात्रि 11ः00 बजे तक चला इस मौके पर क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा चाय पानी की व्यवस्था कर पद यात्रियों का स्वागत सत्कार किया। यात्रा मार्ग बिजली घर के पास शरद पूर्णिमा पर्व के चलते पद यात्रा में शामिल हजारों यात्रियों को खीर प्रसादी का वितरण किया गया। पदयात्रा इतनी लंबी थी कि पहला जत्था कैला देवी मंदिर पर पहुंच चुका था एवं पिछला जत्था पदयात्री चैनपुर बालाजी पर थें पदयात्रा में हजारों की संख्या में पद यात्रियों ने भाग लिया पदयात्री माता रानी के जयकारे लगाते हुए भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे प्रात: 4ः00 बजे खोहरी माता के दर्शन कर पदयात्रियों ने प्रात: 5ः00 बजे से माता रानी के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली के साथ परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की मथुरा वालों की धर्मशाला में विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया भंडारा संयोजक दिनेश चंद्र कोर्ट व महेश चंद ने बताया कि माता रानी के विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में पदयात्रियों ने प्रसादी पाई भंडारे की 6ः00 बजे शुरुआत हुई जो दोपहर 12ः00 बजे तक भंडारा का आयोजन किया गया।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

गुड़गांव शाखा:–एससीओ नंबर 391, सेक्टर–29, अर्बन एस्टेट इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, गुड़गांव–122001
भिवाड़ी शाखा:–पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ए–10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी–301019

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को मांग सूचना/ऐ जारी की थी, जिसमें संबंधित कर्जदार/रों से, प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित बकाया राशि, सूचना/ओं की तिथि/उक्त सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।
चूंकि कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहा है/रहे हैं, अतः कर्जदार/रों तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।
एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार/रों को तथा जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार उक्त बकाया राशि एवं उस पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
1.	HOU/GUR/12 16/335577, बी.ओ.: गुड़गांव	वीरेंद्र सिंह/शिखा/सतीश कुमार ठेकेदार/सतीश कुमार	12.06.2024	04.06.2024 तक रु. 24,67,593.61/– (रुपये चौबीस लाख सड़सठ हजार पांच सौ तिरानवे और इकसठ पैसे मात्र)	14.10.2024 भौतिक कब्जा	सी–2, के सभी अंश और खण्ड, 302, तृतीय तल, डिलाइट और स्टेटस रेजीडेंस, खसरा न. 205, 206, 207, 208, 679/210, गांव टपूकड़ा, अलवर, राजस्थान–301019
2.	HOU/BHI/061 7/401897, बी.ओ.: भिवाड़ी	सुनीता देवी और बच्चू सिंह	06.06.2024	27.05.2024 तक रु. 6,00,439.91/– (रुपये छह लाख चार सौ उनतालीस और इक्यानवे पैसे मात्र)	14.10.2024 भौतिक कब्जा	टावर ई–13, के सभी अंश और खण्ड, 101, बीड़ीआई आनंदा, गांव झिवाना और खातीवास, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान–301019

स्थान : राजस्थान दिनांकित : 14-10-2024 — प्राधिकृत अधिकारी, (वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड)

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय :–9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली–110001 फोन:–011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
भिवाड़ी शाखा: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ए–10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बायपास, भिवाड़ी–301019, राजस्थान

एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल) /प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। एतदद्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं), (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामत: **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई. (के)
HOU/BHI/0817/416667, बी.ओ. भिवाड़ी, निमाई चंद्र मंडल/चीना मंडल	21.08.2023 तक रु.3110421.58	भौतिक कब्जा	305,3, टावर जे, कैपिटल ग्रीन, खसरा नंबर 838/917, 839/919, 840, 841 गांव–, मिलकपुर भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान), भिवाड़ी, राजस्थान, भारत–305203।	रु. 1984000	रु. 198400	21.11.2024	रु. 10000	04.11.2024 पूर्वा.10.00 अप. 5.30	22.11.2024 अप.02.00 अप.03.00	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम् नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के सात संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सों) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज़ प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **दीपक शाह संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

स्थान: राजस्थान, दिनांक: 18-10-2024 — प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

ऐक्सिस बैंक — पंजीकृत कार्यालय: 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 — **मांग सूचना**

यतः निम्नलिखित ऋणियों/सह-ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ने ऐक्सिस बैंक लि. से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हमने यह अनुभव किया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ने बकाया दिनांक को मूलधन तथा ब्याज पुनर्भुगतान करने में बहुत सी चूक की है। खाते को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न दिनांकों को गैरनिष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। फलस्वरूप एक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रमण में सरेफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को मांगपत्र निर्गत किये गये जिसमें संबंधित ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को नोटिस में उल्लेखित राशि तथा अनुबंधित दर के अनुसार आगे के ब्याज तथा संपाश्विक खर्चे, लागतें व प्रभार इत्यादि का भुगतान इस नोटिस के प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। मूलतः उनके अंतिम ज्ञात पते पर निर्गमित की गई जो कि बिना प्राप्ति के लौट आई तथा उन्हें इस द्वारे में आम सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है-

क्र. सं.	ऋणियों का नाम/पता एवं ऋण खाता संख्या	सह-आवेदक का नाम	एल.पी.ए दिनांक / मांग सूचना की दिनांक	बकाया राशि	प्रतिभूति आस्तियों का पता
1.	श्री भूदेव सिंह पुत्र श्री भोला सिंह, पी 96 जयपुरी कॉलोनी महेश नगर लाल कोठी जयपुर राजस्थान, भारत - 302015 ऋण खाता संख्या: PHR001003806278	श्रीमती मंजला पत्नी श्री भूदेव सिंह, पी 96 जयपुरी कॉलोनी महेश नगर लाल कोठी जयपुर राजस्थान, भारत - 302015	03-08-2024 / 25/09/2024	29/08/2024 तक रु.284,987/-	फ्लैट नं. ई-112, प्रथम तल, बी ब्लॉक पहली रेजीडेंसी खसरा नं. 243/3, 246, 247/2 गांव नरसिंहपुरा सांगानेर जयपुर। सीमाएं: उत्तर: अन्य भूमि, दक्षिण: सड़क, पूर्व: अन्य भूमि, पश्चिम: अन्य भूमि।
2.	श्री धन्नवीर पुत्र श्री रोशन लाल, कुकडोला, पलगांव आईएमटी मानेसर गुड़गांव हरियाणा, भारत - 122052 ऋण खाता संख्या: PHR057905816964	श्रीमती सुनिता देवी पत्नी धन्नवीर, कुकडोला, पलगांव आईएमटी मानेसर गुड़गांव हरियाणा, भारत - 122052	08-08-2024 / 25/09/2024